

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	अगस्त 2023 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	10400	1026	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2340	5	0	2010
3	असम	6191	80	0	0
4	बिहार	8405	-	0	200
5	छत्तीसगढ़	6611	5	1	3550
6	गोवा	855	412	0	0
7	गुजरात	12068	602	0	21000
8	हरियाणा	1841	1529	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर यूटी	-	-	0	0
11	झारखंड	1624	-	0	0
12	कर्नाटक	14595	323	0	32803
13	केरल	2749	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1149	0	0
15	महाराष्ट्र	61512	1512	0	4000
16	मणिपुर	63	126	0	0
17	मेघालय	1063	84	8	0
18	मिज़ोरम	383	44	0	0
19	नगालैंड	1604	42	0	0
20	उड़ीसा	16358	1840	105	21376
21	पुदुचेरी	486	-	0	1250
22	पंजाब	7578	0	0	0
23	राजस्थान	-	-	129	11600
24	तमिलनाडु	8400	-	0	2837
25	तेलंगाना	7112	1559	0	0
26	त्रिपुरा	1011	21	0	825
27	उत्तराखंड	4515	190	0	0
28	उत्तर प्रदेश	6416	-	89	0
29	पश्चिम बंगाल	11502	837	239	0
	कुल	195682	11388	571	101452

टिप्पणियां: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।

2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।

3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।